भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 69*

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

तिब्बती आबादी वाली बस्तियां

***69. डॉ० चंदन मित्रा :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार ऐसी कुल कितनी बस्तियां हैं जहां तिब्बती रह रहे हैं और उनकी आबादी कितनी-कितनी है;

(ख) वर्तमान तिब्बती पुनर्वास नीति के अंतर्गत तिब्बती लोगों को दिए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तिब्बती लोगों को सरकार द्वारा प्रायोजित कतिपय कार्यक्रमों/योजनाओं का लाभ भी देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के उपयुक्त पुनर्वास के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 29.04.2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : तिब्बती बस्तियों की राज्य-वार कुल संख्या निम्नानुसार है

क्र सं.	राज्य का नाम	बस्तियों की संख्या
1.	कर्नाटक	6
2.	महाराष्ट्र	1
3.	ओडिशा	1
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	अरुणाचल प्रदेश	3
6.	सिक्किम	2
7.	पश्चिम बंगाल	2
8.	उत्तराखंड	4
9.	हिमाचल प्रदेश	16
10.	जम्मू एवं कश्मीर	9
	कुल	45

वर्ष 2009 आंकड़ों के अनुसार, देश में रह रहे तिब्बतियों की कुल जनसंख्या 1,10,095 है। तिब्बती शरणार्थियों की सघन आबादी कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545), पश्चिम बंगाल (5,785) और जम्मू एवं कश्मीर (6,920) में है।

(ख) से (ड.) : तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अनेक उपाय किए थे। तिब्बती शरणार्थियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पट्टा आधार पर कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई है। डलहौजी, धर्मशाला, शिमला और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) तथा राजपुर (उत्तराखंड) में हस्तशिल्प केन्द्र स्थापित किए गए थे।

तिब्बती प्रतिनिधियों के साथ अनेक बार बातचीत के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सहायता/सुविधाओं का स्तर एक समान नहीं है। अत: , भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की एक समान सीमा तय करने के लिए तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014 तैयार की है। मौजूदा तिब्बती पुनर्वास नीति के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

.....3/-

(i) संबंधित राज्य सरकारें तिब्बती शरणार्थियों के कब्जे वाली भूमि के लिए अनिवार्य रूप से पट्टा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। इस प्रकार के पट्टा दस्तावेजों पर 20 वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक इसे वापस/रद्द नहीं किया जाता, हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(ii) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भाड़ा किरायेदार प्रमाण-पत्र अवश्य जारी किए जाएंगे।

(iii) तिब्बती शरणार्थियों की कब्जे वाली भूमि से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

(iv) राज्य सरकारों को संबंधित राज्य सरकार की योजनाओं तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राजीव आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि जैसी केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजनाओं के लाभ प्रदान करने की भी सलाह दी गई है।

(v) राज्य सरकारों को तिब्बती बस्तियों के आस-पास अवसरंचना संबंधी सुविधाएं तथा सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल योजना जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की सलाह दी गई है।

(vi) राज्य सरकारों को तिब्बती शरणार्थियों के लिए कौशल – स्तरोन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की सलाह दी गई है।

(vii) राज्य सरकारों से तिब्बती शरणार्थियों को तिब्बती सामानों, हथकरघा और हस्तशिल्प का व्यापार करने हेतु तिब्बती बाजार चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

(viii) तिब्बती शरणार्थी, भारतीय नागरिकों के समान बाढ़/सूखा राहत प्राप्त करने के हकदार होने चाहिए।

(ix) तिब्बती शरणार्थियों में से योग्य विशेषज्ञों को उनकी व्यावसायिक आर्हता वाले किसी भी क्षेत्र में निजी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(x) राज्य सरकारों को तिब्बतियों को इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, जिनकी वे इच्छा रखते हों, चलाने की अनुमति देने और इस संबंध में व्यापार लाइसेंस/अनुमति देने की सलाह दी गई है।

******